रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262059
CG-DL-E-28032025-262059

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1470]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947
No. 1470]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

का.आ. 1488(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. संख्या 1394(अ) दिनांक 30 मई, 2013, का. आ. 5249(अ) दिनांक 11 नवंबर, 2022 के साथ पठित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश के कॉलम क्रमांक 6(ए) और 6(बी) में निर्दिष्ट का. आ. संख्या और तारीख को अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में निर्दिष्ट मूल्यों को, उक्त सारणी के कॉलम (2) की प्रविष्टि में निर्दिष्ट अनुसूचित फॉर्मूलेशनों, जिनका कॉलम (3) और (4) में संगत प्रविष्टियों में क्रमशः खुराक का रूप एवं प्रबलता और इकाई निर्दिष्ट की गई है, के संबंध में लागू वस्तु और सेवा कर (यदि कोई हो) को छोड़कर, अकतम मूल्य के रूप में निर्धारित करता है:

सारणी

वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू. पी. आई.) @1.74028% वृद्धि के अनुसार मूल्य संशोधन

क्र. सं.	दवाइयां	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (थोक मूल्य सूचकांक सहित 1.74028% की दर से 1.4.2025 से प्रभावी) (रु.)	मौजूदा का. आ. संख्या और दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(ए)	6(बी)
1.	एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	0.28	1549(अ)	26-03-24
2.	कैल्सियम कार्बोनेट	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	2.47	1549(अ)	26-03-24
3.	कोंडोम्स		1 कोंडोम	11.57	1549(अ)	26-03-24
4.	डैप्सोन	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	0.30	1549(अ)	26-03-24
5.	मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	3.78	1549(अ)	26-03-24
6.	रिफाम्पिसिन	गोली 450 मिग्रा	1 गोली	5.62	1549(अ)	26-03-24

नोट:—

(क) अधिकतम मूल्य 1.4.2025 से लागू हैं (अधिकतम मूल्य मे 2023 की तुलना में वर्ष 2024 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) @1.74028% की दर शामिल हैं)।

(ख) अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के सभी निर्माता, जो ब्रांडेड या जेनेरिक या अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के दोनों रूपों को सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित और अधिसूचित अधिकतम मूल्य (वस्तु और सेवा कर के साथ) से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, ऐसे सभी फॉर्मूलेशनों की कीमतों को इस प्रकार संशोधित करेंगे जो उपरोक्त सारणी में कॉलम (5) में निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य (वस्तु और सेवा कर अलग से, यदि कोई हो) से अधिक नहीं होंगे ।

(ग) उपरोक्त सारणी के कॉलम 6 (ए) और 6 (बी) में निर्दिष्ट का. आ. संख्या और दिनांक के अनुसार अधिसूचित अधिकतम कीमत से कम अधिकतम खुदरा मूल्य वाले उपर्युक्त अनुसूचित फॉर्मूलेशन के सभी मौजूदा निर्माता (साथ ही वस्तु और सेवा कर, यदि कोई हो), डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 16 (2) के अनुसार वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 के लिए डब्ल्यू. पी. आई. @1.74028% के आधार पर अपने फॉर्मूलेशन के मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य को संशोधित कर सकते हैं।

(घ) निर्माता वस्तु एवं सेवा कर तभी जोड़ सकते हैं जब यह उपरोक्त सारणी के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकतम मूल्य पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया हो या देय हो।

(ङ) यदि संशोधन किया जाता है तो, इसकी सूचना ऐसे संशोधनों को किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर की अवधि में प्रपत्र-।। के रूप में इलेक्ट्रॉनिक अथवा वास्तविक किसी भी तौर पर सरकार को अग्रेषित की जाएगी और इस उप-पैराग्राफ के तहत सूचना प्रस्तुत नहीं किए जाने को अधिकतम खुदरा मूल्य में संशोधन नहीं किया जाना माना जाएगा और संबंधित निर्माता अधिक शुल्क लेने की तिथि से उस पर ब्याज सहित पूर्व-संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक की राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(च) अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के एक पैकेट के लिए अधिकतम मूल्य संबंधित निर्माता द्वारा डीपीसीओ 2013 के पैरा 11 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त सारणी के कॉलम (5) में निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। निर्माता डीपीसीओ 2013 के पैरा 24 के अनुसार अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से एनपीपीए को प्रपत्र-5 में मूल्य सूची जारी करेगा और राज्य औषधि नियंत्रक और विक्रेताओं को एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(छ) डीपीसीओ 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार, प्रत्येक खुदरा विक्रेता और विक्रेता निर्माता द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूची और पूरक मूल्य सूची, यदि कोई हो, परिसर के उस विशिष्ट भाग में प्रदर्शित करेंगे जहां वह इस तरह से व्यवसाय करता है ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से सुलभ हो सके जो उससे परामर्श करना चाहता है।

(ज) जहां उपरोक्त सारणी में निर्दिष्ट अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के खुराक या शक्ति या दोनों का कोई मौजूदा निर्माता डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2 (1) (यू) के अनुसार एक नई दवा शुरू करता है, तो ऐसा मौजूदा निर्माता डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-II के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र-I में एनपीपीए को ऐसी नई दवा के पूर्व मूल्य अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।

(झ) उपरोक्त अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के निर्माता आईपीडीएमएस के माध्यम से डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-II के प्रपत्र-III में अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के उत्पादन/आयात और बिक्री के संबंध में एनपीपीए को तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का उत्पादन बंद करने का इरादा रखने वाला कोई भी निर्माता डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-II के प्रपत्र-IV में अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के उत्पादन और/या आयात को बंद करने के संबंध में एनपीपीए को कम से कम छह महीने पहले जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(ञ) ऊपर निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करने वाले निर्माता आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत ब्याज के साथ अधिप्रभारित राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ट) इस अधिसूचना में उपरोक्त सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट किए गए ऐसे फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य जारी करने के परिणामस्वरूप, उपरोक्त अधिसूचना की तारीख से पहले जारी अधिकतम मूल्य या खुदरा मूल्य, यदि कोई हो, निर्धारित करने वाले मूल्य आदेश का स्थान ले लिया गया है।

[का.सं. 263/131/2025/एफ़ फा. सं. 8(131)/2025/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS NOTIFICATION

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 27th March, 2025

S.O. 1488(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraph 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. No. 1394(E) dated 30th May, 2013, S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order(s) of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. Number and date specified in column no. 6(a) & 6(b) mentioned in the table below, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling prices exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

Table

Price Revision as per Annual Wholesale Price Index (WPI) @ 1.74028% increase

Sl. No.	**Medicines**	**Dosage form and Strength**	**Unit**	**Ceiling price (wef 1.4.2025 with WPI @ 1.74028 %) (in Rs.)**	**Existing S.O. No. & Date**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**6(a)**	**6(b)**
1.	Acetyl Salicylic Acid	Tablet 300 mg	1 Tablet	0.28	1549 (E)	26-03-2024
2.	Calcium carbonate	Tablet 250 mg	1 Tablet	2.47	1549 (E)	26-03-2024
3.	Condoms		1 Condom	11.57	1549 (E)	26-03-2024
4.	Dapsone	Tablet 50 mg	1 Tablet	0.30	1549 (E)	26-03-2024
5.	Medroxy Progesterone Acetate	Tablet 5 mg	1 Tablet	3.78	1549 (E)	26-03-2024
6.	Rifampicin	Tablet 450 mg	1 Tablet	5.62	1549 (E)	26-03-2024

Notes: —

(a) The ceiling prices are applicable with effect from 1.4.2025 (ceiling prices are inclusive of Wholesale Price Index (WPI) @ 1.74028% for the year 2024 over 2023).

(b) All manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus Goods and Services Taxes as applicable, if any.

(c) All the existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price notified vide S.O. No. & date as specified in column 6 (a)& 6 (b) in the above table (plus Goods and Services Taxes as applicable, if any), may revise the existing M.R.P. of their formulations, on the basis of WPI @ 1.74028% for year 2024 over 2023 in accordance with paragraph 16(2) of DPCO, 2013.

(d) The manufacturers may add Goods and Services Taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.

(e) Information about the revision, if carried out, shall be forwarded to the Government in either electronic or physical form in Form-II within a period of fifteen days of such revision and non-submission of information under this sub-paragraph shall be construed as non-revision of maximum retail price (MRP) and the concerned manufacturer shall be liable to deposit the amount charged over and above the pre-revised maximum retail price (MRP), alongwith interest thereon from the date of overcharging.

(f) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(g) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(h) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (1) (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form-I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

(i) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

(j) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

(k) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/263/131/2025/F F. No. 8(131)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Deputy Director(Pricing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.28 15:50:24 +05'30'